परिपत्र संख्या 09/2011

राजस्थान सरकार
महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक :एफ-7(73)जन/2011/ 18283-18682 दिनांक : 28/07/2011

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)
जयपुर

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)
राजस्थान।

समस्त उप पंजीयकगण
राजस्थान।

विषय :- राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक शुल्क पर लगाये गये अधिभार के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.12(25) वित/कर/11-152 दिनांक 9.3.2011 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया गया है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 10(1) के अनुसार अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय सभी शुल्क जिनसे कोई लिखत प्रभार्य है, संदत्त किये जावेगें और ऐसा संदाय ऐसी लिखतों पर स्टाम्पों द्वारा उपदर्शित किया जावेगा। उक्त धारा 10 की उपधारा-3 में फ्रेकिंग के माध्यम से स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क के साथ अधिभार के रूप में जमा की जाने वाली राशि स्टाम्प के रूप में भी अदा की जा सकती है।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय उप पंजीयकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क पर लगाये गये अधिभार की राशि नकद रूप में ही जमा कराने के लिए पक्षकारों को बाध्य किया जा रहा है, जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में यदि किसी पक्षकार द्वारा दस्तावेज का निष्पादन मुद्रांक शुल्क पर देय अधिभार को जोडकर राशि के मुद्रांक पर करके पंजीयन हेतु पेश किया जाता है तो ऐसे दस्तावेज का नियमानुसार पंजीयन किया जावे। अधिभार की राशि नकद रूप से जमा कराने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। इस संबंध में राजक्रेस्ट सॉफ्टवेयर के वर्जन 149 में ही प्रावधान किया जा चुका है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिभार की राशि को राजकोष में जमा करने के लिए अलग से उपमद का प्रावधान कर दिया गया है। अतः मुद्रांक शुल्क पर देय अधिभार की राशि स्टाम्प के रूप में अदा किये जाने की स्थिति में अधिभार की राशि का सही मद में समायोजन करने के लिए संबंधित उप महानिरीक्षक के माध्यम से T.E. मुख्यालय को भिजवावें, ताकि राशि का समायोजन उचित मद में किया जा सकें।

28/7/11

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

LETTER_COMPUTER_NEW

क्रमांक :एफ-7(73)जन/2011/ 18683 - 18752 दिनांक : 28/07/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है -

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित) राजस्थान, जयपुर।
2- शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड हेतु।
4- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6- पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11- ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13- निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

28/7/11

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

LETTER_COMPUTER_NEW